न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 95/2019

1. श्री सुवालाल
2. श्री हाथीराम

पुत्रगण श्री किरतूर

3. श्री अमरचन्द
4. श्री रामचन्द्र
5. श्री गोपाल

पुत्रगण स्व0 श्री रूपा समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम जसवन्तपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट्स*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन

.....रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–

1. श्री नौरतमल जैन, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक–12.07.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2076 में श्री सुवालाल, श्री हाथीराम पुत्रगण श्री किस्तूर एवं श्री अमरचन्द, श्री रामचन्द्र व श्री गोपाल पुत्रगण स्व0 श्री रूपा समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम जसवन्तपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ने ग्राम जसवन्तपुरा के वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 1986 रकबा 1.33 हैक्टर किस्म चाही 2, खसरा नम्बर 1987 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै0मु0 चाह एवं खसरा नम्बर 1988 रकबा 1.39 हैक्टर किस्म चाही 2 भूमि पर अनाधिकृत रूप से ग्वार व बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 157/2019 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 24.07.2019 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि पर अतिक्रमी की फसल कुर्क करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 24.07.2019 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिंदु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने मे हुई देरी को कंडोन करने के पश्चात हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये तथा पटवारी हल्का के बयान लिये बगैर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धांत के विरूद्ध है। विवादित आराजियात वर्तमान जमाबन्दी अनुसार सिवायचक भूमि नहीं है। धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस मात्र सिवायचक भूमियों के संदर्भ में ही जारी किये जाने का प्रावधान है। विवादित आराजी के चौसाला खसरा संख्या 2234 रकबा 16–16–0 बीघा व खसरा संख्या 2235 रकबा 0–1–0 बीघा चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2016 से 2019 के अनुसार खातेदार श्री बोदूदास दर्ज थे। तत्पश्चात वर्किंग खसरा संख्या 3012 रकबा 08–10–0 बीघा, खसरा संख्या 3013 रकबा 8–6–00 बीघा व खसरा संख्या 3014 रकबा 0–1–0 बीघा चाह बने तथा वर्तमान खसरा संख्या 1986, 1987 व 1988 बने हैं। खातेदार श्री बोदूदास द्वारा वादग्रस्त आराजी श्री किस्तूर व श्री रूपा को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 14.06.1966 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 300 दिनांक 20.04.1967 खरीददार के पक्ष में तस्दीक किया जाकर अंतिम चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2027 अनुसार खातेदार श्री किस्तूर व श्री रूपा पुत्रगण श्री धूला दर्ज किया गया जो वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 अनुसार भी खातेदार दर्ज है। श्री रूपा का स्वर्गवास हो चुका है व श्री किस्तूर मौजूद है। विवादित आराजी क्रय दिनांक से ही इनके द्वारा एवं विरासत में प्राप्त होने से वर्तमान में इनके वारिसान अपीलान्ट्स द्वारा काश्त की जाती रही है किन्तु वर्तमान जमाबन्दी में प्रश्नगत आराजी मंदिर श्री रघुनाथ जी के नाम गलत दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 के तहत कार्यवाही कर आक्षेपित आदेश पारित कर दिया जो विधि के विरूद्ध है।

वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के न्यायालय में नियमित राजस्व वाद संख्या 66/2018 श्री रघुनाथ जी महाराज बनाम श्री किस्तूर व अन्य अन्तर्गत धारा 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है जिसमें राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन पक्षकार संयोजित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमित राजस्व वाद के विचाराधीन होते हुए विधि के अनुसार किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के उपरान्त भी बिना किसी आधार व अधिकार के क्षेत्राधिकार के बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जबाव में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित आराजी के वर्किंग खसरा संख्या 3012 रकबा 08–10–0 बीघा किस्म बा0 2, खसरा संख्या 3013 रकबा 8–6–00 बीघा किस्म बा0 2 व खसरा संख्या 3014 रकबा 0–1–0 बीघा किस्म चाह खातेदार श्री किस्तूर व श्री रूपा कौम कुमावत सा0 देह के स्थान पर माफी

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

मंदिर श्री रूघनाथ जी खातेदार जरिये इन्द्राज दुरूस्ती अंकन दर्ज किया गया है। वर्तमान मे विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक भूमि होकर माफी मन्दिर श्री रूघनाथ जी मन्दिर (देवस्थान) के नाम से दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट्स द्वारा विवादित वर्तमान आराजी खसरा संख्या 1986 रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा संख्या 1987 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा 1988 रकबा 1.39 हैक्टर भूमि पर कब्जा कर फसल काश्त की गई है। विवादित आराजी के वर्किंग खसरा संख्या 3012 रकबा 08–10–0 बीघा, खसरा संख्या 3013 रकबा 8–6–00 बीघा व खसरा संख्या 3014 रकबा 0–1–0 बीघा का अंकन इन्दाज दुरूस्ती द्वारा खातेदार श्री किस्तूर व श्री रूपा कौम कुमावत सा0 देह के स्थान पर माफी मंदिर श्री रूघनाथ जी खातेदार दर्ज किया गया है जो कि राजस्व अभिलेख में माफी मन्दिर श्री रूघनाथ जी मन्दिर (देवस्थान) के नाम से सिवायचक भूमि दर्ज है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें हम किसी भी प्रकार का करना हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 12.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर